

**कार्यालय : जिला समाज कल्याण अधिकारी, मीरजापुर ।**

(Office Phone Number - 9451987898)

पत्रांक 681-82/स0क0/जनसूचना अधिकार/2025-26/ दिनांक 22-5-25

श्री योगी एम0पी0 सिंह,  
निवासी मोहल्ला सुरेकापूरम्,  
जबलपुर रोड, संगमोहाल, मीरजापुर।  
मो0नं0-7379105911

**विषय :** जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण।

उपर्युक्त विषयक जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन किये गये अपील संख्या-DIRSW/R/2024/60156 दिनांक 21.11.2024 एवं अपील संख्या-DIRSW/A/2025/60007 दिनांक 09.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2022-23 संलग्न कर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गयी है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण निति से सम्बन्धित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या-566-67 दिनांक 16.05.2025 द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा चुका है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि "जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के धारा 8(1)(i) के तहत, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जो किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से सम्बन्धित नहीं है, उसे सार्वजनिक करने से छूट दी गयी है। इसका मतलब है कि अगर कोई जानकारी किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से सम्बन्धित है और उसे सार्वजनिक करने से किसी व्यक्ति की निजता में दखल होता है, तो उसे आर0टी0आई0 के तहत उजागर नहीं किया जायेगा।"

अतः जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन अपील अपील संख्या-DIRSW/R/2024/60156 दिनांक 21.11.2024 एवं अपील संख्या-DIRSW/A/2025/60007 दिनांक 09.01.2025 के सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

(त्रिनेत्र कुमार सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
मीरजापुर।

पृ0प0सं0 /तद्दिनांक :

प्रतिलिपि :

मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सुनवाई कक्ष संख्या-एस-9, अपील संख्या-एस9/ए/0563/2025, उ0प्र0 सूचना आयोग, 7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित। (संलग्नक-जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के धारा 8(1)(i) की छायाप्रति)।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
मीरजापुर।

En सुनें

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जो किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है, उसे सार्वजनिक करने से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई जानकारी किसी व्यक्ति की निजी ज़िंदगी से संबंधित है और उसे सार्वजनिक करने से किसी व्यक्ति की निजता में दखल होता है, तो उसे आरटीआई के तहत उजागर नहीं किया जाएगा. 📌

विस्तार में:

धारा 8(1)(j) के तहत, निम्नलिखित जानकारी को आरटीआई से छूट दी जा सकती है: 📌

#### व्यक्तिगत जानकारी:

यह वह जानकारी है जो किसी व्यक्ति की निजी ज़िंदगी से संबंधित है, जैसे कि उनका निजी जीवन, स्वास्थ्य, वित्तीय विवरण, आदि.

#### सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित जानकारी:

यह वह जानकारी है जो किसी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है, जैसे कि किसी सरकारी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति की भागीदारी, किसी सरकारी नौकरी में किसी व्यक्ति का प्रदर्शन, आदि.

#### सार्वजनिक हित से संबंधित जानकारी:

यह वह जानकारी है जो सार्वजनिक हित से संबंधित है, जैसे कि किसी सरकारी परियोजना की योजना, किसी सरकारी नीति का विवरण, आदि.

#### धारा 8(1)(j) का उद्देश्य:

इस धारा का उद्देश्य किसी व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक न हो।

#### उदाहरण:

- किसी व्यक्ति का पता या फोन नंबर, जो किसी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित नहीं है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.
- किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक न हो.
- किसी व्यक्ति की वित्तीय जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक न हो. 📌